353

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. निग—1911— II-16 /2016

श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री बालमुकुंद अग्रवाल, निवासी वार्ड– न. 5 अनूपपुर तहसील जिला अनूपपुर (म.प्र.) --आवेदिका

विरूद्ध

1. बृज मोहन अग्रवाल पुत्र श्री वृन्दावन अग्रवाल, निवासी अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर

--अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर, तहसील अनूपपुर म.प्र. के समक्ष प्रकरण क्रमांक राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर/नक्शा तर./सीमा./2016 में की जा रही सीमांकन कार्यवाही (एवं जारी सूचना पत्र दि. 13-4-16) के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

13-6-16 माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन में आवेदिका एवं अन्य सरहदी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है इस कारण अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन प्रचलन योग्य न होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

3. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 05/11/2015 के आधार पर सीमांकन हेतु आवेदन किया गया है। जबकि नक्शा में सर्वे क्रमांक 624 के बटा नम्बर कायम करते हुये आदेश दिनांक 05/11/2015 के तरमीम आदेशके पूर्व से ही तरमीम थी। ऐसी स्थिति में पश्चावर्ती नक्शा तरमीम आदेश 05/11/2015 पूर्व न्याय के सिद्धांत से विबंधित होने से इसके आधार पर सीमांकन नहीं किया जा सकता।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1911–दो/2016 जिला अनूपपुर

सरोज अग्रवाल विरूद्ध बृज मोहन अग्रवाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–2–2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर/नक्शा तहर0/सीमा0/2016 में पारित आदेश दिनांक 04–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–4–2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 25/2/2019 सदस्य	